

महिला सशक्तिकरण का समाज विकास में योगदान

अंजू शर्मा

सहायक प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग, सनातन धर्म कॉलेज, अम्बाला छावनी

मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है।"

“महिला - वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है।” वर्तमान समय में चाहे खेल हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रौशन कर रही हैं। हमें समाज में ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को रोकना होगा।

महिलाओं को खुद से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए - सही मायने में हम तभी नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर सकते हैं।

'महिला सशक्तिकरण' का अर्थ है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में वर्तमान में 'महिला सशक्तिकरण' का दौर है। इस विषय पर सेमिनार हो रहे हैं, कार्यशाला आयोजित की जा रही है और सरकारों द्वारा विभिन्न नियम, कानून बनाए जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश की समग्र प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक उस देश की राजनीति से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में वहां की महिलाएं सशक्त बनकर न उभरी हो। तमाम प्रभावी नीतियों और योजनाओं के बावजूद वास्तविकता यह है कि महिलाएं व्यावहारिकता में अब भीतरह-तरह की सामाजिक और

आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। निश्चित तौर पर यह मानना होगा कि जब तक परिवार और समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की बात करना मात्र कल्पना ही होगी।

19वीं सदी के उत्तरार्द्धमें संपूर्ण विश्व में सुधारवादी आंदोलनों का जोर था तो भारतीय महिला समाज इससे अछूता कैसे रह सकता था। उस दौर में सुधारवादी आंदोलन ने भारतीय संरचना को गहराई तक प्रभावित किया। इस सामाजिक चेतना की बदौलत दलित, पिछड़े और महिलाएं बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलनों में सम्मिलित हुईं। यह वही समय था जब अनेकों महिलाओं ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके फलस्वरूप महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे आने लगीं। इस समय में प्राचीन परंपराओं का विरोध आरंभ हो गया। अब ऐसी परंपराओं पर सवाल उठने लगे जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम करके आंक थीं।

जब महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने लगीं और अपनी सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए तो विश्व भर में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता होने लगी। तत्कालीन समाज में ऐसी परंपराएं विद्यमान थीं जो महिलाओं को दूसरे स्तर का प्राणी मानती थीं इसलिए ऐसे कानून बनाए गए जिनकी सहायता से महिलाओं को संरक्षण दिया जा सके। उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं। इसके अतिरिक्त उस समय अस्तित्व में रहे कानूनों में भी व्यापक संशोधन किए गए ताकि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति में सुधार हो सके। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1950 का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें माता पिता की संपत्ति में पुत्रियों को पुत्रों के समान ही संपत्ति का अधिकार दिया गया था। उस समय यह अधिनियम लागू नहीं हो सका था लेकिन अभी हाल ही में सन 2005 में केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण कानून सारे भारत में लागू कर दिया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन वास्तविकता क्या है यह सभी जानते हैं। वे समाज और राजनीति में अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पा रही हैं। महानगरों में महिलाओं की स्थिति को देखकर लगता है कि महिलाएं जो है वह काफी विकसित हो गई हैं लेकिन यह वास्तविकता नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने मात्र से भारत में महिला सशक्तिकरण आंदोलन को एक नई गति मिली है। महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे आवश्यक है- नारी शिक्षा। यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो कोई कारण नहीं है कि कोई उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर सके। दरअसल शिक्षा के साथ-साथ अपने

अधिकारों के प्रति चेतना का भाव आ जाता है। शपथ ग्रहण संबोधन में श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने कहा था कि-“मैं शिक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहे। मेरे लिए महिलाओं का सशक्तिकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं समझती हूँ कि इससे राष्ट्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।”

यदि महिलाओं को शिक्षित बना दिया जाए तो वे अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगी और फिर ऐसी जागरूक महिलाओं को दबाना किसी के लिए भी संभव नहीं रह पाएगा। वर्तमान में महिलाएं समाज और राजनीति में सबसे पिछड़े पायदान पर खड़ी दिखाई देती हैं इसका सबसे प्रमुख कारण है महिलाओं के बीच शिक्षा की कमी।

साक्षरता को किसी भी समाज में सामाजिक आर्थिक विकास का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक चेतना तथा आर्थिक विकास के लिए उच्च साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता अति आवश्यक है।

शिक्षा के कारण व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और उसका व्यक्तित्व निखरता है। इसके कारण व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तो सुधरती ही है साथ ही उसमें सांस्कृतिक समझ भी विकसित होती है। शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है और समाज में गतिशीलता आती है। वैसे तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति और हर वर्ग के लिए शिक्षा आवश्यक है लेकिन महिलाओं के लिए इसका महत्व कुछ अधिक है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त उपकरण है जो नई समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाता है। महिलाएं शिक्षित होंगे तो वह अपने अधिकारों के प्रति सजग भी रहेंगी और जागरूक भी।

वर्तमान समय में आवश्यकता है एक ऐसी स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था की जो समानता पर आधारित हो, जहाँ मानव द्वारा मानव का शोषण न हो, स्त्री और पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें न कि व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में। दोनों ही परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, अहं भावना से ऊपर उठकर पारस्परिक सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण योगदान दें। समाज का कोई भी वर्ग किसी भी वर्ग के प्रति पूर्ण धारणा से ग्रसित न हो ताकि किसी के भी व्यक्तित्व के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न पड़े। संयुक्त परिवार जो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है के सभी सदस्य एक आदर्श संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में, सभी के समुचित व्यक्तित्व विकास के लिए अपना योगदान दें। यदि ऐसा हो तो वास्तव में एक स्वस्थ समाज

की संरचना हो लेकिन ऐसा तभी संभव है जो प्रत्येक बालिका शिक्षित हो और हर महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी नारी शिक्षा अनिवार्य है। समाज में किसी भी वर्ग को सम्मान उसी सीमा तक मिलता है, जिस सीमा तक समाज के उत्पादन प्रक्रिया में उसका योगदान होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन क्षेत्रों और युगों में विशेष रूप से कृषि के रूप में उत्पादन के मुख्य साधन में उन्नति करके महिलाओं ने समाज के उत्पादन को एक नई मंजिल तक पहुंचाया, तो बड़े पैमाने पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था अपने संपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, दर्शन आदि के नारी की महत्ता का गुणगान करने लगी। यदि हम महिलाओं को समाज में सम्मान का स्थान दिलाना चाहते हैं तो उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सा देकर पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाना सर्वाधिक अनिवार्य है ताकि वे आत्मनिर्भर होकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इच्छित दिशा की ओर अपने शक्तिशाली कदम उठाकर देश के हित में अपना योगदान दें क्योंकि आत्मनिर्भरता के अभाव में अनेकों योग्य, कुशल एवं महत्वाकांक्षी महिलाएं मजबूरन परावलंबी बन जाती हैं। वास्तव में आर्थिक आत्मनिर्भरता किसी भी देश के विकास की अवस्था के सूचक के रूप में मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण भी तभी संभव है जब वे धनोपार्जन के काम में समान रूप से भाग लें। ऐसा तभी संभव है जब महिला शिक्षित होगी।

इसी आधार पर अगर हम देखें तो आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति में कुछ तो सुधार हुआ है। महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, घर के खर्चों में योगदान देने लगी हैं, कई क्षेत्रों में तो वे पुरुषों से आगे निकल गई हैं, दिन प्रतिदिन लड़कियां ऐसे ऐसे कीर्तिमान बना रही हैं जिस पर न केवल परिवार या समाज को, बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। भारत सरकार ने भी महिलाओं के विकास के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई जो महिलाओं को सामाजिक बंधनों को तोड़ने में सहायक है तथा साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित कर रही है। सरकार ने पौराणिक परंपराओं जैसे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा आदि पर कानूनी रोक लगा दी है। जिससे महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। आज तक हमने महिला को बहन, मां, पत्नी, बेटी आदि विभिन्न रूपों में देखा है जो हर वक्त परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है।

महिलाएं ही परिवार बनाती हैं, परिवार से घर बनता है और घर समाज बनाता है और समाज ही देश बनाता है। इसका मतलब यह कि महिला का योगदान हर स्थान पर है। महिला सशक्तिकरण को

नजरअंदाज करके स्वस्थ समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। महिला सशक्तिकरण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

सहायक ग्रंथ सूची

1. प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी, महिला विकास एक मूल्यांकन, ओमेगापब्लिकेशन, दिल्ली- 110002
2. ममता मेहरोत्रा, महिला अधिकार, नयी दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, कोलकाता
3. ज्ञानेंद्ररावत, औरत एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्व भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली - 110002
4. सुभाष शर्मा, भारतीय महिलाओं की दशा, आधार प्रकाशन, पंचकूला (हरियाणा)